

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 9842-45 दिनांक :- 30.10-2015

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या30...../2015-16

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2013 में दिये गये निर्देशों तथा वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(11)वित्त/राजस्व /2012 दिनांक 15.05.2013 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को शामिल किया जाता है:-

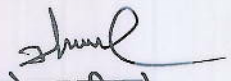
क्र. स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ. ग्रेड-I	स.ले.अ. ग्रेड-II	क.ले.
1	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, (साधारण बीमा निधि) जयपुर (आईएफएमएस कोड-996)	01 (1)	-	01(1)
कुल योग		01(1)	-	01(1)


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 9842-45 दिनांक :- 30-10-2015

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- 3- निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
- 4- अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, (साधारण बीमा निधि) जयपुर।
- 5- उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- 6- वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
- 7- पदस्थापन सहायक अलेसे- I/III विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)